(भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

....

15.6.96

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

....

नई दिल्ली, दिनांक 15/5/1996

अधिसूचना

का.आ. 1754 केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 473 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 फरवरी, 1995 में प्रकाशित की गई थी, के साथ पठित भारत के राजपत्र तारीख 2 अक्तूबर, 1993 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2047, तारीख 8 सितम्बर, 1993 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 840.00 एकड़ (लगभग) या 339.93 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि अर्जित की जानी चाहिए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 840.00 एकड़ (लगभग) या 339.93 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि अर्जित की जाती है ।

..../-

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० राजस्व/3/95, तारीख 19 अप्रैल, 1995 का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

केदला उत्तर और झारखंड कोयला खान

(परियोजना बोकारो कोलफील्ड्स)

रेखांक सं० राजस्व/3/95-तारीख 19 अप्रैल, 1995

(अर्जित की गई भूमि दर्शाते हुए)

सभी अधिकार

क्र०सं० ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र एकड़ में	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1. केदला	मांडु	160	हजारीबाग	479.49	194.04	भाग
2. लोइयो	मांडु	162	हजारीबाग	360.51	145.89	भाग

कुल क्षेत्र: 840.00 एकड़ (लगभग)
या
339.93 हैक्टर (लगभग)

ग्राम केदला में अर्जित किए गए प्लाट संख्या :- 367 (भाग)

369 (भाग), 371 (भाग), 410, 411 (भाग), 412, 413, 414, 415 (भाग), 416, 417, 418, 419 (भाग), 421 (भाग), 423 (भाग), 477 (भाग), 478 (भाग), 479, 480, 481, 482, 483 (भाग), 484, 485 (भाग), 487 (भाग), 488 (भाग), 489 से 497, 498 (भाग), 506 (भाग), 507, 508, 509, 510 (भाग), 513 (भाग), 514, 515, 516 (भाग), 518 (भाग), 519 (भाग), 524 (भाग), 525 (भाग), 526 (भाग), 527 से 588, 589 (भाग), 590 (भाग), 594 (भाग), 595 (भाग), 598 (भाग), 599, 600, 601 (भाग), 602 से 619, 620 (भाग), 621 से 733, 741 (भाग), 792 (भाग), 793, 794, 795 (भाग), 796 से 800, 801 (भाग), 803 (भाग), 804 से 809, 810 (भाग), 811 से 1195,

1196§भाग§, 1197, 1198, 1199§भाग§, 1208, 1209 और 1214 .

ग्राम लोहयो में अर्जित किए गए प्लाट सं० :- 1855§भाग§

1856, 1857§भाग§, 1858§भाग§, 1859§भाग§, 1860 से 1888, 1889§भाग§, 1891 से 1901, 1902§भाग§, 1903 से 1909, 1910§भाग§, 1911§भाग§, 1912§भाग§, 2048§भाग§, 2049 से 2119, 2120§भाग§, 2121 से 2130, 2131§भाग§, 2509§भाग§, 2524§भाग§, 3447 और 2462§भाग§ ।

सीमा वर्णन :-

क-ख	रेखा ग्राम केल्ला में प्लाट सं० 795, 792, 801, 803, 810, 741, 415, 741, 411, 741, 367 और 371 से होकर जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।
ङ-ग-घ-ङ··· च-छ	रेखा ग्राम केल्ला में प्लाट सं० 369, 371, 419, 421, 422, 423, 525, 524, 526, 519, 518, 516, 513, 510, 506, 498, 487, 488, 485, 483, 478, 371 और 477 से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।
छ-ज	रेखा ग्राम केल्ला में प्लाट सं० 477, 371, 590, 589, 590, 598, 371, 601, 595, 594, 620, 1199, 1196 और 1199 से होकर जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
ज-झ	रेखा ग्राम लोहयो से प्लाट सं० 2120, 2131, 1902, 2509, 1889, 2509, 2524, 1859 और 3462 से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।
झ-ण	रेखा ग्राम लोहयो में प्लाट सं० 3462 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है उसके पश्चात् प्लाट सं० 1858, 1857, 1855, 1910, 1911, 1912, 1910 और 2048 से जो लोहयो ब्लाक विस्तार की सम्मिलित सीमा बनाती है जो कोयला धारक क्षेत्र §अर्जन और विकास§ अधिनियम, 1957 की धारा 9§1§ के अधीन अर्जित किया गया है, से होकर जाती है और बिन्दु "ण" पर मिलती है ।

....../-

ट-ठ रेखाएं चुटुआ नदी की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है (जो हरदा ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है जिसका कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जन किया गया है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

ठ-ड-ढ रेखाएं ग्राम लोकयो और कचाकडीह केदला और कचाकडीह की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है जो परोज ब्लाक विस्तार की सम्मिलित सीमा बनाती है जिसका कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जन किया गया और "ढ" बिन्दु पर मिलती है।

ढ-क रेखा ग्राम केदला और कचाकडीह की सम्मिलित सीमा के भाग से होकर जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

फा.सं.43015/10/91-एम.एस.डब्लू.

प्रे. ला. सैनी

(श्रीमती प्रेम लता सैनी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक (तकनीकी),
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।